भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH T 021310

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	कृषि
2.	परगना	लखनऊ
3.	ग्राम	अल्लामऊ
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०)	भूमि खसरा संख्या–742/2
5.	मापन की इकाई	हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	0.253 हेक्टेयर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 021309

7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	कोई पेड़ नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रु0 14,05,000/-
11.	बयाना	:	रु0 14,00,000/-
12.	मालियत	:	रु0 10,12,000/-
13.	स्टाम्प	:	रु0 98,450/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 021309

चौहद्दी

खसरा नं० 742/2

पूरब	: कृषि भूमि खसरा संख्या–734
पश्चिम	: कृषि भूमि खसरा संख्या–915, 923
उत्तर	: कृषि भूमि खसरा संख्या–733, 734
दक्षिण	: कृषि भूमि खसरा संख्या–807

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रथम पक्ष की संख्या-01	द्वितीय पक्ष की संख्या-01
विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
राम सेवक पुत्र राम औतार निवासी ग्राम-[illegible], परगना, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	सर्वजीत रावत पुत्र श्री दुर्गेश निवासी-[illegible], पोस्ट-[illegible], जिला-लखनऊ । व्यवसाय-कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 021306

24 DEC 201

- २ -

विक्रय अनुबन्ध पत्र मय कब्जा

मन्नकि राम सेवक पुत्र राम औतार निवासी–ग्राम- अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ का है।

यह कि विक्रेता पत्रावलिक खाता खतौनी क्रम संख्या– 00513, फसली वर्ष 1415 से 1420 के खसरा संख्या–742/2 रकबा 0.5060

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 021305

24 DEC 2010

हेक्टेअर का 1/2 भाग यानि रकबा 0.253 हेक्टेअर, स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ का काबिल व काबिज है, उक्त भूमि विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुकी है।

विक्रेता की भूमि में 4-5 फिट गहरे गड्ढे है अथवा भूमि कृषि योग्य नहीं है। भूमि पर पहुँचने का रास्ता भी नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24 DEC 20[illegible]

[illegible]

- 7 -

विक्रेता की उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना अंतर्गत धारा 4(1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 दिनांक 26/10/2010 सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुकी है। विक्रेता को अधिग्रहण कार्यवाही के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है किन्तु चूंकि विक्रेता को रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता है एवं अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने म

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

तिकर भुगतान में काफी समय लगने की सम्भावना है अतः विक्रेता ने क्रेता को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए भूमि का विक्रय करना तय किया है कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में मात्र क्रेता या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा। विक्रेता द्वारा भूमि अधिग्रहण के अन्तर्गत व अधिग्रहण

INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

के उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रतिफल पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं होगा।

यह कि उक्त भूमि विक्रेता के नाम असंक्रमणीय दर्ज है विक्रीत कृषि भूमि जुमला हर किस्म के इन्तकालात, [illegible], रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, [illegible], मुकदमा, सरकारी या गैर सरकारी बैंक ऋण

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 363757

27 DEC

आदि से बिल्कुल बरी व पाक साफ है, अतः सक्षम अधिकारी से उक्त भूमि को विक्रय करने की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त शीघ्रातिशीघ्र दो माह के भीतर विक्रेता क्रेता के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर देगा। यदि उक्त भूमि के सम्बन्ध में विक्रेता को विक्रय की अनुमति

INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पांच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

UTTAR PRADESH

R 363758

DEC 2016

-11-

प्राप्त नहीं होती है तो विक्रेता सम्पूर्ण प्राप्त विक्रय मूल्य की धनराशि ब्याज सहित क्रेता को वापस कर देगा।

यह कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार मात्र क्रेता या क्रेता द्वारा अधिकृत व्यक्ति को होगा। विक्रेता या उसकी ओर से किसी अन्य

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 363759

2 DEC

व्यक्ति को प्रतिफल प्राप्त करने का हक न होगा। विक्रेता या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति भविष्य में उक्त भूमि के अधिग्रहण व प्रतिफल से सम्बन्धित कोई वाद/मुकदमा किसी न्यायालय /अधिकारी /प्राधिकरण के समक्ष नहीं करेगा।

INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अब कब्जा भूमि के उसी किता कृषि भूमि स्थित ग्राम-अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ को खुश-सोच व समझकर बिना दबाव नाजायज किसी चीज व हक व कुल के बिल एवज रु0 14,05,000/- (रुपया चौदह लाख पाँच हजार मात्र) में

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 376136

क्रेता उपरोक्त के हक में बेचना तय पाया है। जिसका मुझ उभय पक्ष निम्नलिखित शर्तो के पाबन्द होते हैं:-

1. यह कि उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में उपरोक्त तयशुदा कीमत में से क्रेता ने विक्रेता को रुपया 14,00,000/- (रुपया चौदह लाख मात्र) बयाना के तौर पर प्राप्त नकद लिए-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 374135

दिनांकित 31.12.2010 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ के माध्यम से अदा कर दिया है। जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

2. यह कि बकाया रुपया रु० 5,000/- (रुपया पाँच हजार मात्र) क्रेता, विक्रेता को बवक्त रजिस्ट्री अदा करेगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 016663

14-3-2013

7. यह कि उक्त भूमि विक्रेता के नाम असंक्रमणीय दर्ज है विक्रीत कृषि भूमि जुमला हर किस्म के इन्तकालात, मिलन, रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, बन्धक, मुकदमा, सरकारी या गैर सरकारी बैंक ऋण आदि से बिल्कुल बरी व पाक साफ है, अतः सक्षम अधिकारी से उक्त भूमि को विक्रय करने की

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH T 016652

अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त शीघ्रातिशीघ्र दो माह के भीतर विक्रेता क्रेता के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर देगा। यदि उक्त भूमि के सम्बन्ध में विक्रेता को विक्रय की अनुमति प्राप्त नहीं होती है तो विक्रेता सम्पूर्ण प्राप्त विक्रय मूल्य की धनराशि ब्याज सहित क्रेता को वापस कर देगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 018549

4\. यह कि विक्रेता यदि उपरोक्त भूमि की रजिस्ट्री बयनामा निष्पादित करने में हीला-हवाली करता है तो क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत उक्त भूमि का रजिस्ट्री बयनामा अपने हक में करा लेवें तथा उक्त अदालती कार्यवाही में होने वाले खर्च की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत INDIA

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T: 018850

5. यह कि रजिस्ट्री बैनामा निष्पादन में होने वाले खर्च जैसे कि स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रेशन फीस आदि की जिम्मेदारी क्रेता उपरोक्त की होगी।

6. यह कि इस अनुबन्ध पत्र द्वारा कब्जा दिया जा रहा है। विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 572806

7. यह कि उपरोक्त विक्रय अनुबन्ध की शर्तें मुख्य विक्रेता व उत्तराधिकारी विधिक प्रतिनिधि, प्रशासक व क्रेता व क्रेता पक्ष के विधिक वारिसान आदि पर भी लागू होंगी।

8. यह कि उपरोक्त भूमि ग्राम अहमामऊ, अर्धनगरीय क्षेत्र के अतिविशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

R 572867

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सर्किल रेट रु0 40,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत सम्पत्ति की भूमि रकबा 0.253 हेक्टेयर की मालियत रु0 10,12,000/- होती है, जो विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 96,450/- के जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहे हैं।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 572805

९. यह कि आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है तथा विक्रीत आराजी की २०० मीटर की त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है और न ही आवासीय गतिविधियां संचालित हैं।

रु. 500

पाँच सौ रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10. यह कि उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

11. यह कि आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।

[illegible] 31-12-10

[illegible]

[illegible]

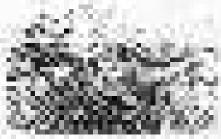

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अखिलेश दुबे
उप-निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ

[illegible]

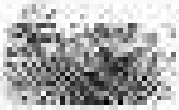

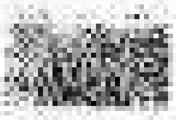

[illegible]

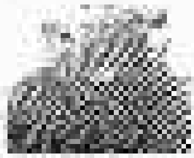

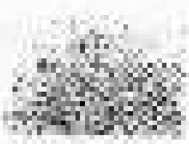

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अखिलेश दुबे
उप-निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ

अतः यह विक्रय अनुबन्ध पत्र आज विक्रेता व क्रेता ने मिल और दबाव नाजायज किसी शख्स के स्वस्थ मस्तिष्क, स्वतन्त्र सहमति से अपने-अपने हस्ताक्षर बनाकर तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

लखनऊ
दिनांक :–31.12.2010

गवाहान:–

1.

विक्रेता

2.

क्रेता

टाईपकर्ता
(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता
(मोहित मिश्रा)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट

[illegible]

Seller

Registration No.: 26 Year: 2011 Book No.: I

[illegible]

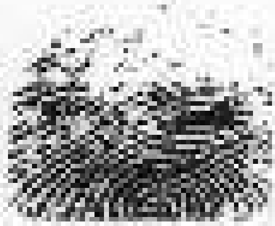

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्टस्

विक्रेता का नाम व पता– राम सेवक पुत्र राम औतार निवासी-ग्राम-[illegible], परगना, तहसील व जिला लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

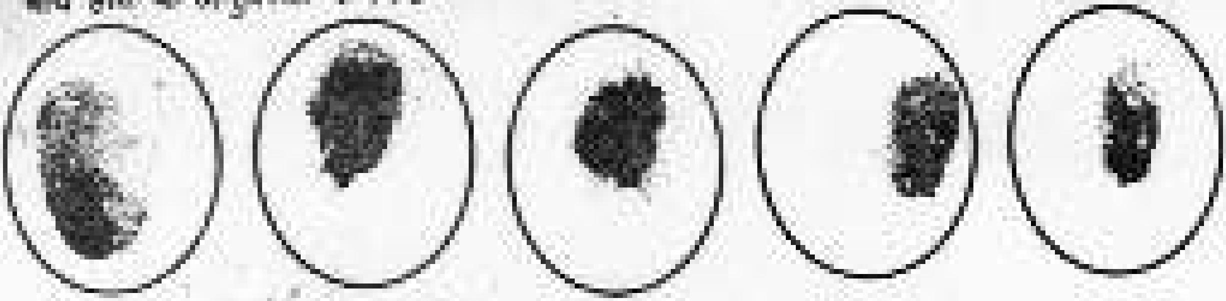

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

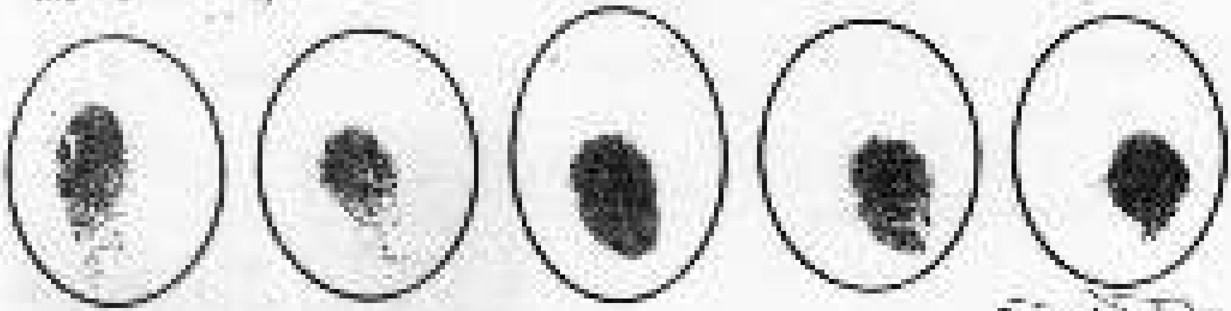

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता–सर्वजीत रावत पुत्र श्री [illegible] निवासी [illegible], पोस्ट-[illegible], जिला-लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

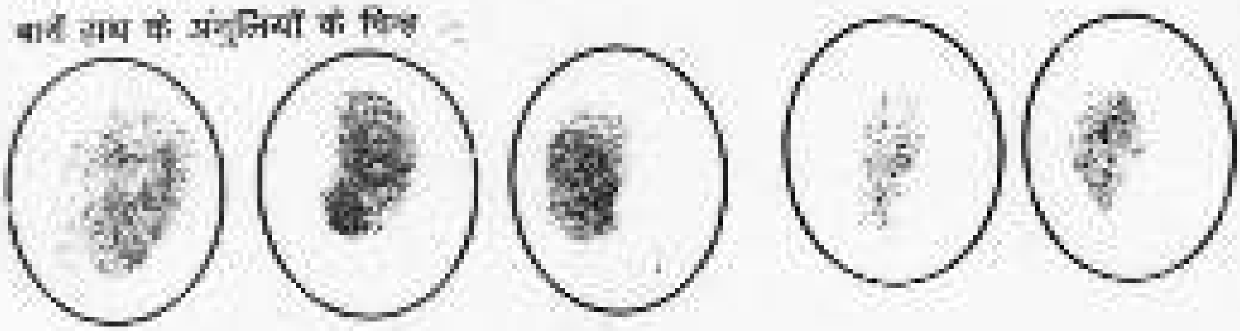

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

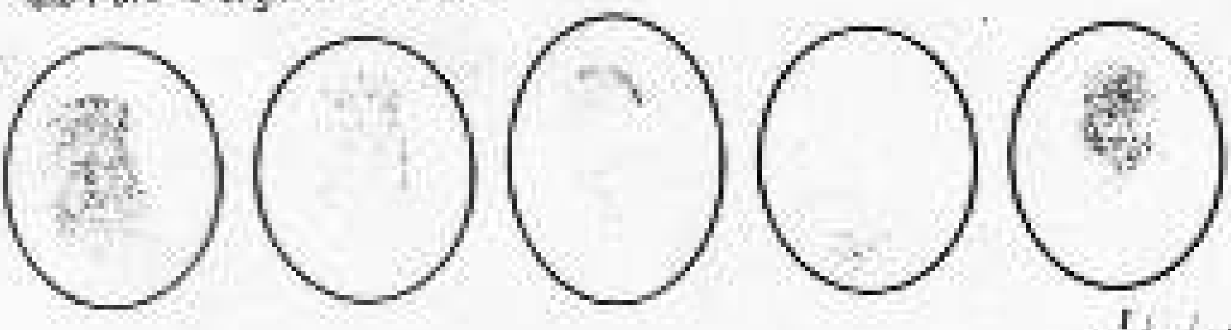

क्रेता के हस्ताक्षर

Registration No.: 27 Year: 2011 Book No.: I

नक्सा नजरी

ग्राम- [illegible]

खसरा संख्या- [illegible]

विक्रेता- [illegible]

क्रेता- [illegible]

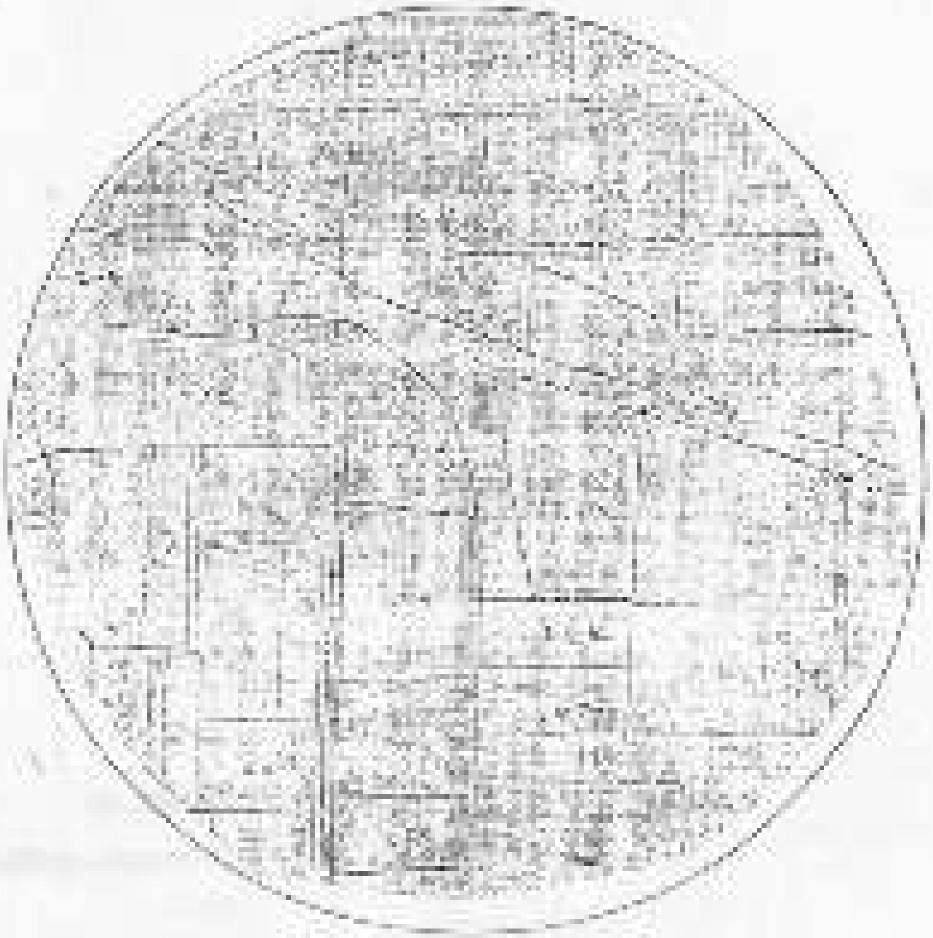

विक्रेता

क्रेता

आज दिनांक 03/01/2011 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 10486

पृष्ठ सं. 371 से 422 पर क्रमांक 23

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अखिलेश दुबे
उप-निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
[illegible]